(38)

R 456-दो/15 सीधी

(46 / 13.2.15)

कामता प्रसाद तिवारी तनय श्री रामकिसोर तिवारी उम्र पेशा खेती निवासी ग्राम बा तहसील सिहावल जिला सीधी म. प्र. ———————— आवेदक

बनाम.

1- लक्ष्मीकान्त तिवारी तनय श्री कैलास प्रसाद तिवारी {ब.} ग्राम बाको तहसील सिहावल जिला सीधी म. प्र.

2- कैलास प्रसाद तिवारी पिता रामकिसोर तिवारी उम्र 68 वर्ष निवासी ग्राम बाको तहसील सिहावल जिला सीधी म. प्र.

3- गुलाब प्रसाद तनय रामकिसोर तिवारी निवासी ग्राम बाको तहसील सिहावल जिला सीधी म. प्र.

4- त्रिवेणी प्रसाद पिता रामकिसोर तिवारी निवासी ग्राम बाको तहसील सिहावल जिला सीधी म. प्र.

क्रमांक 4596
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 23-2-15 को प्रेषित
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर म. शासन

——— आवेदक गण

श्री.......... .एड के
द्वारा आज दिनांक.
प्रस्तुत किया गया।

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान तहसीलदार तहसील सिहावल जिला सीधी म. प्र. राजस्व प्रकरण क्रमांक 20 अ-6 अ /12-13 में पारित आदेश दिनांक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 456–तीन/2015 जिला सीधी

कामता प्रसाद विरूद्ध लक्ष्मीकांत तिवारी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17–7–2015	आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार सिहावल जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 20/अ–6–अ/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 7–3–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 2/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क में बताया कि आवेदक ने तहसीलदार के आदेश दिनांक 28–9–06 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास के समक्ष अपील पेश की। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 01–6–2012 द्वारा अपील खारिज किये जाने पर अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील की। अपर आयुक्त के न्यायालय में प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान तहसीलदार सिहावल ने आदेश दिनांक 7–3–13 के द्वारा अनावेदक का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल करने का आदेश दे दिया। जब वरिष्ठ न्यायालय अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील लंबित थी तब तहसीलदार को अमल करने के आदेश नहीं देने चाहिए थे। 3/आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। निगरानी मेमो एवं अधीनस्थ न्ययालय अपर आयुक्त के आदेश पत्रिकाओं की फोटोप्रतियों का अवलोकन किया। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त के समक्ष प्रचलित द्वितीय अपील में किसी प्रकार का कोई स्थगन जारी नहीं किया गया था जिसके कारण तहसीलदार ने प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की गई	

है। वरिष्ठ न्यायालय से स्थगन जारी होने के पश्चात निम्न न्यायालय द्वारा यदि कोई कार्यवाही की जाती है तब वह निश्चित रूप से अवैधानिक कही जा सकती है, परन्तु इस प्रकरण में किसी प्रकार का स्थगन अपर आयुक्त ने जारी नहीं किया था। ऐसी स्थिति तहसीलदार अमल करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य